<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,</u>
<u>(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।</u>
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1522/12A/2026
UPBH010040832026

शेर अली, उम्र 51 वर्ष, पुत्र सुल्तान, निवासी पकरा देवरिया, थाना को०नानपारा, जनपद बहराइच। ------ प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, बहराइच। ---------अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या 207/2026,
धारा 87,61(2) भा०न्या०सं०,
थाना को०नानपारा, जनपद बहराइच।

<u>दिनाँक 10.07.2026</u>

1– यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त शेर अली की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 207/2026, धारा 87, 61(2) भा०न्या०सं०, थाना को० नानपारा, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निस्तारित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध है।

2– अभयोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनाँक 17.06.2026 को समय रात्रि करीब 11.00 बजे विपक्षी आबिद पुत्र शेर अली ने गाँव के रहने वाले बेचूलाल पुत्र सुकई व किशोरी लाल पुत्र सुन्दर लाल व शेर अली पुत्र सुल्तान अली के सहयोग से वादी हरिद्वार निषाद की पुत्री पीड़िता को बहला–फुसला कर अपने साथ लेकर भाग गया है। वादी हरिद्वार निषाद ने अपनी लड़की की बहुत खोजबीन करने के बाद न मिलने पर थाने पर सूचना दिया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में महज रंजिशन परेशान करने की गरज से रख दिया गया है, वह बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त का मुकदमा उपरोक्त की कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही मुकदमा उपरोक्त की कथित पीड़िता प्रार्थी/अभियुक्त के साथ या उसके कब्जे से बरामद ही हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त व प्रथम सूचक वादी एक ही गाँव के निवासी है। गाँव में आगामी प्रधानी के चुनाव को लकर पार्टीबन्दी चल रही है इसलिए वर्तमान प्रधान की मदद से प्रार्थी/अभियुक्त को बिल्कुल गलत रूप से मुकदमा उपरोक्त में नामजद कर दिया गया है। मुकदमा उपरोक्त का सह–अभियुक्त आबिद

अली जो प्रार्थी/अभियुक्त का पुत्र है, के साथ मिलकर कथित घटना कारित करने का आरोप लगाया गया है जो सरासर गलत है तथा यह विश्वास किये जाने योग्य नहीं है कि पिता–पुत्र साथ में मिलकर कथित घटना को कारित कर सकते हैं। मुकदमा उपरोक्त की कथित पीड़िता बालिग है उसके द्वारा उसे मोटर साइकिल व चार पहिया गाड़ी तथा ट्रेन से ले जाने की बात बतायी गयी है किन्तु उसके द्वारा रास्ते में किसी प्रकार के शोर करने व किसी से सहायता से मांगने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और न तो रास्ते व रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिस से कोई शिकायत ही की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जाये। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ Kavita Chandrakant lakhani vs State of Maharashtra & anr. [2018(2) JIC 621(SC)] की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है।

4– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला–फुसला उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहृत करने तथा आपराधिक षड़यन्त्र करने का गम्भीर अपराध किया गया है। अतः उसकी जमानत स्वीकार न की जाये।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शेर अली द्वारा वादी मुकदमा हरिद्वार निषाद की पुत्री/पीड़िता को बहला–फुसला कर उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहृत करने तथा आपराधिक षड़यन्त्र का आरोप अभियोजन द्वारा दर्शाया गया है जिसके अनुक्रम में सहअभियुक्त आबिद द्वारा पीड़िता को अगवा कर उसके साथ जबरन बलात्संग कारित किया गया है। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में दौरान विवेचना विवेचक द्वारा केस डायरी में संकलित पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० में पीड़िता द्वारा प्रथम दृष्टया अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए घटना की तिथि पर जब वह बाथरूम करने निकली थी तब वजीर अली और **शेर अली** द्वारा उसका मुँह साध कर गाँव के बाहर उठा ले जाने का कथन किया गया है। पीड़िता द्वारा धारा 183 भा०ना०सु०सं० में कथन किया गया है कि "घटना दिनाँक 17.06.2026 की रात 11.00 बजे की है मैं पेशाब करने दुआरे गयी थी। पीछे से वाजिर और **शेर अली** आये और मेरे मुँह पर हाथ कर उठाकर गाँव के पास भट्ठे पर ले गये। वहाँ पर गाँव के ही बेचू व किशोरीलाल मोटर साइकिल लेकर खड़े थे। वहाँ पर आबिद भी था। मुझे बेचू की मोटर साइकिल पर बैठाया आबिद और किशोरीलाल दूसरी मोटर साइकिल पर थे। मुझे मटेरा ले गये वहाँ से चार पहिया वाहन से मुझे लखनऊ स्टेशन ले गये और वहाँ से सुबह 06.00 बजे पुणे जाने वाली ट्रेन पर बैठा दिया। मुझे आबिद ट्रेन से लेकर गया। पूना ट्रेन से उतरते ही चार–पाँच लोग आ गये और अपने कमरे पर ले गये। वहाँ पर आबिद ने मेरे साथ बलात्कार किया।" उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। इस स्तर पर अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने से विवेचना प्रभावित हो सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय न्यायालय की प्रस्तुत विधि व्यवस्था अपील से सम्बन्धित है तथा जमानत प्रार्थना पत्र के स्तर पर इसका लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में जो अन्य आधार लिये गये हैं, वह साक्ष्य का प्रश्न है।

7– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस, अपराध की प्रकृति, पत्रावली में संकलित साक्ष्य, पीड़िता के धारा 180 भा०ना०सु०सं० व धारा 183 भा०ना०सु०सं० के बयान, अपराध के विषय में अभियुक्त की भूमिका व अपराध की गम्भीरता पर विचार करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शेर अली की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 207/2026, धारा 87, 61(2) भा०न्या०सं०, थाना को० नानपारा, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(**बृजेश कुमार यादव**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
जे०ओ० कोड़–यू०पी० 1605

दिनांकः10.07.2026